न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा
E-mail sdokot-kot-rj@nic.in ☎ 0744.232587

मिसल नम्बर – 2024 / 236

1. यशवंत सिंह आयु 62 वर्ष आत्मज स्व० श्री केशवलाल जी जाति जाट निवासी यशवन्त भवन श्रीपुरा, पुराना मोटर स्टेण्ड कोटा – प्रार्थी

बनाम

1– तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

2– अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड राजभवन रोड नयापुरा कोटा एवं सदस्य सचिव नजूल सम्पत्ति निस्तारण समिति कोटा।

3– सचिव, नगर विकास न्यास, वर्तमान चैयरमेन, के० डी० ए०, सी०ए०डी० सर्किल कोटा – अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक – 13/6/25

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई प्रकरण निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–

1. प्रार्थी की पुश्तेनी भूमि ग्राम रंगबाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज० मे स्थित है। इस भूमि मे उनके द्वारा एक महादेव मंदिर, तिबारियों, कुण्ड बनवाये गये थे एवं भूमि के चारों ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है तथा यह स्थान परिवार के शादी समारोह एवं परिवार के अन्य पारिवारिक कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ उपयोग में आती रही है। जिसकी चतुर्थ सीमायें निम्न प्रकार है–

पूरब	–	आम रास्ता
पश्चिम	–	कबीर आश्रम, श्री मीणा जी, श्री हनुमान जी एवं अन्य व्यक्तियों के मकान
उत्तर	–	बांके बिहारी मंदिर कलाधारी आश्रम एवं अन्य व्यक्तियों के मकान
दक्षिण	–	आश्रम, श्री विरेन्द्र शर्मा के मकान एवं नजूल सम्पत्ति

उपखण्ड अधिकारी
को.

2. उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी महकमा बागात दर्ज हो जाने के कारण रिकार्ड दुरूस्त कराने या इस जायदाद को अपनी घोषित करवाने के लिये वादी को अपर जिला न्यायालय मे वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा करना पडा जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06–09–2021 प्रार्थी के हक में निम्न आदेश के साथ निस्तारित किया गया है

"वादी यशवन्त सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण राजस्थान राज्य व अन्य डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वाद पत्र के पैरा संख्या–2 मे वर्णित जायदाद का वादी बहैसियत मालिक है तथा प्रतिवादीगण द्वारा कागजात माल मे दर्शाई गई गैर मुमकिन आबादी बागात नल एण्ड वॉईड है तथा वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादपत्र के पैरा संख्या–2 मे वर्णित सम्पत्ति को नगर विकास न्यास अन्य किसी संस्था को हस्तान्तरित नही करे तथा ना ही वह वादी को उक्त सम्पत्ति से बेदखल करने की कार्यवाही करे।"

3. यहां स्पष्ट किया जाता है कि वादी द्वारा गलत इन्द्राज सिवायचक महकमा बागात मकबूजा सरकार मचकूर या अन्य जो भी नाम दर्ज है को कलमजन करने या राजस्व रिकार्ड से हटाने का जो अनुतोष चाहा गया है, के संबंध मे चूंकि इन्तकाल निरस्ती की कार्यवाही का क्षेत्राधिकार न्यायालय को विनम्र मत मे राजस्व न्यायालय को प्राप्त होने से वादी इस हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

4. उक्त आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भी चुनौती दी गई जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दी गई। अतः अब कोई विवाद शेष नही है एवं प्रार्थी ही उक्त भूमि का विधिक स्वामी है।

5. वाद कारण प्रथम बार जुलाई 2010 मे प्रतिवादीगण द्वारा वादी की सम्पत्ति को गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर नगर विकास न्यास कोटा को स्थानान्तरण करने के लिये मिटिंग में प्रस्तावित होने पर वादी द्वारा धारा 80 सी पी सी व 98 नगर सुधार अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी वादग्रस्त सम्पत्ति को वादी का ना होना मानते हुये उसे नगर विकास न्यास को स्थानान्तरण की कार्यवाही करने का प्रयास निरन्तर किये जाने पर नोटिस की अवधि दिनांक 27–10–2010 को समाप्त होने पर माननीय न्यायालय के क्षेत्र मे उत्पन्न हुआ एवं दिनांक 6–9–2021 को माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 5

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कोटा द्वारा प्रार्थी को इन्द्राज दुरुस्ती हेतु निर्देशित करने पर पुनः उत्पन्न हुआ और तब उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र वास्ते दुरुस्त करने इन्द्राज नक्शा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

6. वादी द्वारा अधिकार घोषणा बाबत एक वाद सिविल न्यायालय ए.डी.जे. क्रम 5 कोटा के प्रकरण संख्या 1276/2014 व (08/11) का बउनवान यशवन्त सिंह बनाम राज० राज्य जरिये जिला कलेक्टर कोटा के विरूद्ध पेश किया जो निर्णय दिनांक 6–9–2021 से दावा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त सम्पति का वादी को मालिक घोषित किया गया है तथा राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को होने से यह कार्यवाही वादी का नाम राजस्व रेकार्ड दर्ज करने प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रार्थना पत्र मे चाहा गया अनुतोष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में आता है इसलिये प्रार्थना पत्र को श्रवणित कर निर्णित करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान अदालत हाजा को प्राप्त है।

7. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक मे अभिलिखित कृषि भूमि ग्राम रंगबाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा जिसमे पूर्व मे आम रास्ता, पश्चिम मे कबीर आश्रम, श्री मीणा जी, श्री हनुमान जी एवं अन्य व्यक्तियों के मकान, उत्तर मे बांके बिहारी मंदिर कलाधारी आश्रम एवं अन्य व्यक्तियो के मकान एवं दक्षिण मे श्री विरेन्द्र शर्मा के मकान एवं नजूल सम्पत्ति खसरा संख्या 139, 140, व 152 कृषि भूमि का राजस्व नक्शे के रकबा अनुसार मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम कर राजस्व नक्शे का दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित कर शुद्धिकरण के आदेशानुसार राजस्व नक्शे मे इन्द्राज दर्ज करने के निर्देश देने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण क्रम 01 तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:–

- चरण संख्या 06 उक्त भूमि प्रारम्भ से अर्थात् प्रथम बन्दोबस्त 2016–24 से ही महकमा बागान मकबूजा सरकार दर्ज चली आ रही है, जो दूसरे बन्दोबस्त सम्वत् 2038–57 में भी यथावत् रहा। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत माननीय न्यायालय को भू–प्रबन्ध की कार्यवाही बन्द होने के बाद भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई रिकॉर्ड की गलतियों को ही दुरूस्त करने की अधिकारिता है। चूंकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि में ना तो किसी प्रकार का परिवर्तन

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

भू–प्रबन्ध कार्यवाहीं के दौरान हुआ है और ना ही भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कोई गलती की गई है, जो दुरूस्त योग्य हो, उक्त तथ्य रिकॉर्ड से साबित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल.आर. एक्ट पोषणीय नही है तथा धारा 136 के उपबन्धो अनुसार खातेदार रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन नही करा सकता। अतः निवेदन है कि माननीय न्यायालय प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे।

- खसरा नं० 139 रकबा 0.18 है० गै०मु० आबादी महकमा बागान मकबूजा सरकार, खसरा नं0 140 रकबा 0.26 है० आबादी, खसरा नं0 152 रकबा 0.09 है० गै. मु. पठार दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण क्रम 03 सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:–

- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 कानून मेन्टेनेबल नही होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

- यह सम्पत्ति नजुल प्रोपर्टी के अन्तर्गत आती है जिसका अधिकार जिला कलेक्टर के पास है और उनके द्वारा यू०आई०टी० कोटा को विधि अनुसार दी गई है इसलिये धारा 136 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

- प्रार्थी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है नजुल प्रोपर्टी पर किसी को स्वत्व प्राप्त नही होता इसलिये जो प्रार्थी द्वारा वाद कारण अंकित किया है वह बनावटी है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

- प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 136 मे पेश किया है व आधार वाद के लिये है इसलिये भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

- जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744 232587

- बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गई।
- हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया व बहस वकुलाय फरीकेन पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।
- हमने धारा 136 भू राजस्व अधिनियम से भी ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया।

भू–राजस्व अधिनियम की धारा के अनुसार–

"भू अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या उन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख ले।

परन्तु जग किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख मे किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दे दिया गया हो।"

- पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट से यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत आराजी प्रथम बन्दोबस्त संवत् 2016–24 से ही महकमा बागान मकबुजा सरकार दर्ज चली आ रही है। उक्त इन्द्राज दूसरे बन्दोबस्त संवत् 2038–57 मे भी यथावत रहा है।
- संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार रिपोर्ट से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित भूमि में ना किसी प्रकार का परिवर्तन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कोई गलती की गई है। हस्तगत आराजी प्रथम बन्दोबस्त से महकमा बागात मकबूजा सरकार दर्ज रिकोर्ड रही है।
- प्रार्थी यह प्रमाणित करने मे पूर्णतया असफल रहा है कि हस्तगत आराजी कभी भी प्रार्थी के खाते दर्ज रही हो तथा भू–प्रबंध विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से हस्तगत आराजी को महकमा बागात के खाते दर्ज कर दिया गया हो।
- उक्त परिस्थितियों मे अप्रार्थीगण का यह कथन प्रमाणित होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पोषणीय नही है।
- उक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया जाना न्यायोचित पाते है।
- अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 5 के निर्णय की पालना हेतु प्रार्थी सुसंगत धाराओं मे कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।
- पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा